

1504/13

दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपर।

आरोपी भारत धमेन्द्र राजवीर द्वारा श्री
बजबेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

मध्यस्थता सेटेलमेंटी डीड प्राप्त।

करियादी ममता देवी ने उपस्थित होकर
राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा की
अनुमति बाबत आवेदन पेश किया।


प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे
दर्शित है कि आरोपी भारतसिंह धमेन्द्र एवं रघुवीर
के विरुद्ध भादस की धारा 294, 323 /34, 506
भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है
जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य
है। करियादी ममता राजीनामा हेतु सक्षम है, ममता
ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के
राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा
पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है।
अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते
हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की
जाती है।

आरोपीगण व करियादी ममतादेवी द्वारा
संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है।
अतः राजीनामा के आधार पर आरोपीगण को भाद

स. की धारा 294, 323 /34, एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।


संदेश गुप्त
पीठासीन अधिकारी,
लोक अदालत पीठ
कर्मिक -22

सदस्य

श्री प्रमोद स्वामी एड. गोहद,



श्री सतेन्द्रसिंह तोमर एड.गोहद.